पत्रांक–13 / वि०प०–11–100 / 2023 2992 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

सुशील कुमार मिश्रा,
अपर निदेशक।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–11/07/2023

विषयः– श्री रामईशबर महतो, माननीय स०वि०प० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–1 / 204 / 316 का हस्तान्तरण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक तारांकित प्रश्न संख्या–1 / 204 / 316 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित प्रश्न में वर्णित सड़क N.H. 20 सड़क चौड़ीकरण एवं फलाई ओवर से संबंधित है। उक्त प्रश्न पथ निर्माण विभाग से संबंधित है।

अतः वर्णित प्रश्न आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न करते हुए अनुरोध है कि बिहार विधान परिषद् को अपने विभाग के स्तर से प्रश्नोत्तर भेजने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
11/7/2023
अपर निदेशक

ज्ञापांक–13 / वि०प०–11–100 / 2023 2992 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–11/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय के ऑनलाईन प्रश्न सं०–1 / 204 / 316, प्रेषण का दिनांक– 04.07.2023 के आलोक में / प्रशाखा–04 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/7/2023
अपर निदेशक।

कार्यालय, बिहारशरीफ नगर निगम, नालन्दा

पत्रांक 1856

प्रेषक,

नगर आयुक्त
बिहारशरीफ नगर निगम ।

सेवा में,

अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार,पटना।

बिहारशरीफ / दिनांक 11-7-2023

विषयः- श्री रामईशवर महतो, माननीय स०वि०प० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या-1/204/316 का प्रश्नोत्तर सामग्री अनुपूरक सहित भेजने के संबंध में।

प्रसंगः- आपका पत्रांक-13/वि०प०-11/2023-3934/न०वि०एवं आ०वि० दिनांक-07-07-2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्री रामईशवर महतो, माननीय स०वि०प० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या-1/204/316 का प्रश्नोत्तर सामग्री निम्न प्रकार हैः-

क्र०	तारांकित प्रश्न संख्या-1/204/316	उत्तर सामागी
(क)	क्या यह बात सही है कि बिहारशरीफ नगर निगम अंतर्गत अम्बेडकर चौक से पश्चिम एकंगरसराय रोड में देवी सराय पंचाने नदी के किनारे से शुरु होकर नदी के तटबंध होते हुए बियावानी तक सड़क से भी वाहनों का परिचालन हो सकेगा ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। उक्त की संयुक्त जाँच उप नगर आयुक्त, कनीय अभियंता एवं अमीन, बिहारशरीफ नगर निगम से करायी गयी। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित भूमि में प्रायमिक विद्यालय साठोपुर, श्मशान एवं विभिन्न लोगों द्वारा नदी के जमीन में अतिक्रमण कर निर्माण किये गये भवन तथा नालंदा शोध संस्थान महाविद्यालय की बन्दोबस्त जमीन अवस्थित है (संयुक्त जाँच प्रतिवेदन संलग्न)। विदित है कि विषयांकित भूमि की किस्म गैरमजरुआ नदी है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में N.H. 20 सड़क चौड़ीकरण एवं फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। फ्लाई ओवर का निर्माण होने पर जाम से निजात मिल सकेगा। अतः वर्त्तमान परिपेक्ष्य में विषयांकित सड़क का निर्माण किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।
(ख)	क्या यह बात सही है कि उक्त नदी के तटबंध पर सड़क के निर्माण होने से एन०एच० 20 के पश्चिम नये बसावटों को एक नई सड़क मिल जाएगी तथा यदा कदा जाम की स्थिति में इस सड़क से भी वाहनों का परिचालन हो सकेगा, ;	
(ग)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड क में वर्णित प्रस्तावित सड़क निर्माण कब तक कराना चाहती है ;	

अनु०-संयुक्त जाँच प्रतिवेदन एवं नजरी नक्शा।

विश्वासभाजन,

11/7/23
नगर आयुक्त,
बिहारशरीफ नगर निगम।

Suchna Prakashan 13th and 4th

सेवा में,

नगर आयुक्त महोदय
नगर निगम, बिहार शरीफ

विषय – देवीसराय पुल से बीयानानी पुल तक नदी के तटबंध से होते हुए सड़क निर्माण के संबंध में जाँच प्रतिवेदन

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि देवीसराय पुल से बीयानानी पुल तक नदी के तटबंध से होते हुए सड़क निर्माण में प्रयुक्त होने वाली भूमि मौजा देवीसराय थाना नं.-127 एवं मौजा- साठोपुर, थाना नं. 130 के अंतर्गत है, जाँच में निम्न तथ्य पाए गए जो नीचे क्रमशः अंकित हैं :-

1. नदी मौजा- देवीसराय, थाना नं. 127 में जीलका खाता सं. 169 खेसरा सं. 1500 अराजी 6.62 एकड़ किस्म जमीन. जी० आम नदी एवं मौजा- साठोपुर, थाना नं. 130 जीलका खाता सं. 181 खेसरा सं. 671, 825 अराजी क्रमशः 23.90 एकड़, 6.63 एकड़ किस्म जमीन- नदी, जी० आम है।
2. नदी के पूरबी तटबंध पर मुख्य सड़क से उत्तर एवं संत मेरी सीनीयर सेकेण्ड्री स्कूल से पश्चिम नदी की भूमि में देवीसराय का श्मसान है।
3. बीयानानी पुल से दक्षिण नदी जो मौजा साठोपुर के अंतर्गत है, नदी के पूरबी तटबंध पर स्थल पर नाजायज शौचसंस्थान का बोर्ड गाड़ा हुआ है एवं ऑनलाइन जमाबंदी प्रदर्शित हो रही है।
4. नदी के पश्चिमी तटबंध पर जो मौजा साठोपुर में है मुख्य सड़क से उत्तर साठोपुर प्राथमिक विद्यालय, B.S.N.L. का टावर एवं इससे उत्तर साठोपुर का श्मसान है एवं इसके बाद नदी की भूमि में ही पूर्व से अतिक्रमण कर विभिन्न लोगों द्वारा मकान बना लिया गया है, जिससे नदी आंशिक संकीर्ण हुई है।
5. विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में जलस्रोत की भूमि पर अन्य संरचना पर रोक है।

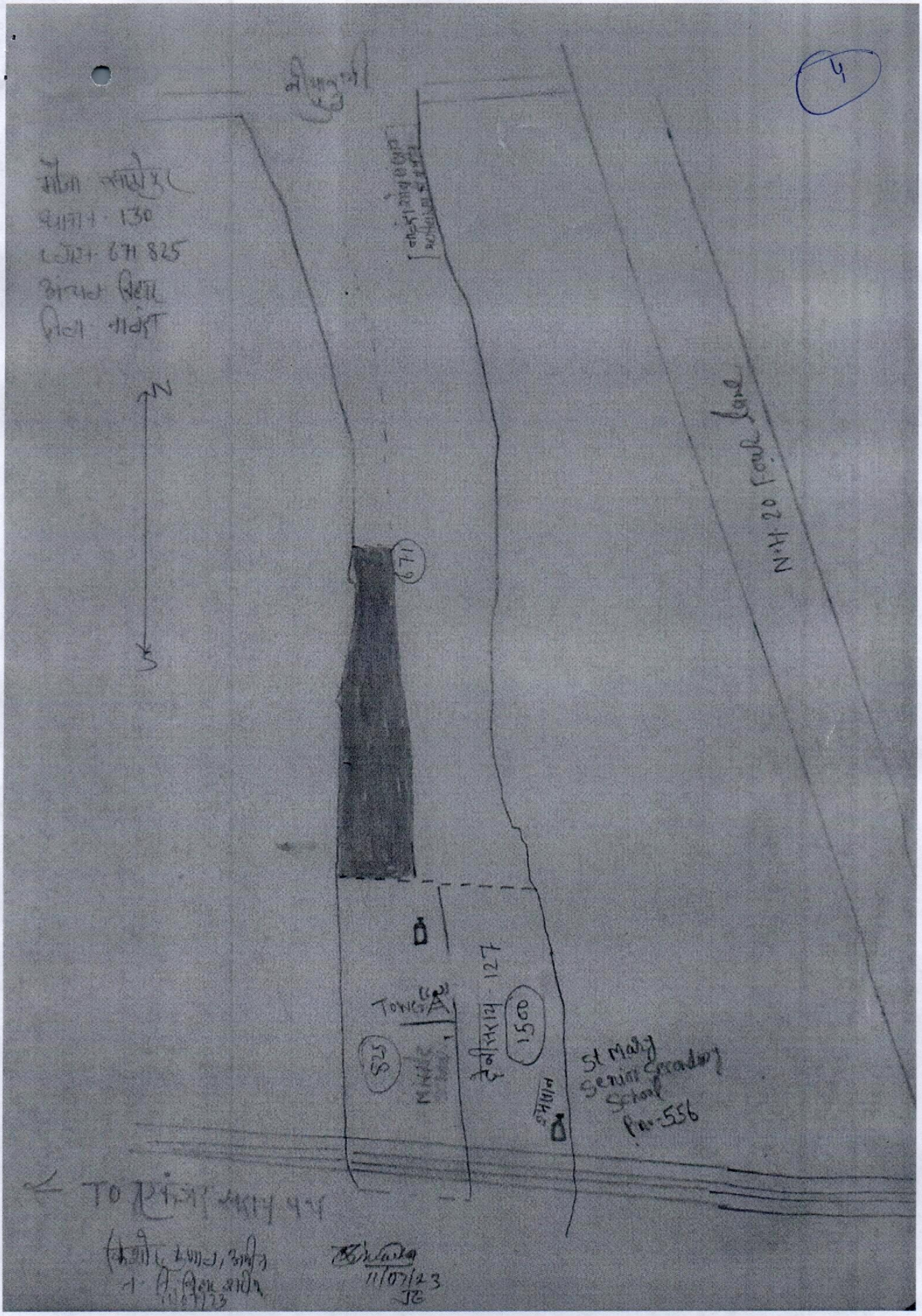

4
130
671 825
N
S
671
Tower
127
1500
525
St Mary Senior Secondary School
N.H. 20 Four lane
TO
11/07/23
JG

Bihar Vidhan Parishad Question

1/204/316

सड़क का निर्माण

04/07/2023 04/07/2023

*1/204/316 श्री रामईशबर महतो(विधान सभा)

नगर विकास एवं आवास

(क) क्या यह सही है कि बिहार शरीफ नगर निगम अंतर्गत अम्बेडकर चौक से पश्चिम एकंगरसराय रोड में देवी सराय पंचाने नदी के किनारे से शुरू होकर नदी के तटबंध होते हुए बियावानी तक सड़क निर्माण प्रस्तावित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नदी के तटबंध पर सड़क के निर्माण होने से एन.एच.- 20 के पश्चिम नये बसावटों को एक नई सड़क मिल जाएगी तथा यदा-कदा जाम की स्थिति में इस सड़क से भी वाहनों का परिचालन हो सकेगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खण्ड 'क' में वर्णित प्रस्तावित सड़क का निर्माण कबतक कराना चाहती है?